SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेखे एक नजर में
2024-25

राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार

लेखे एक नजर में
2024-25

(प्रधान महालेखाकार)
(लेखे एवं हकदारी)
राजस्थान, जयपुर

प्रस्तावना

'लेखे एक नजर में' एक वार्षिक प्रकाशन है , जो सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता हैं, जैसाकि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया हैं। सूचना संक्षिप्त स्पष्टीकरण, विवरण व ग्राफ द्वारा दर्शायी गयी हैं।

राज्य सरकार के वार्षिक लेखे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अधीन नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार बनाये और जांचे जाते हैं। वार्षिक लेखे (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे का समावेश हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार हैं। विनियोग लेखे के अंतर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान के अनुसार किये गये व्यय अंकित किये जाते है और वास्तविक व्यय तथा निधि व्यवस्था के बीच अन्तर के स्पष्टीकरण का सार अंकित किया जाता हैं।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता हैं।

सुझाव जो इस प्रकाशन के सुधार में हमें मददगार होगें, का स्वागत हैं।

(प्रवीन्द्र यादव)
प्रधान महालेखाकार

स्थान : जयपुर

दिनांक : जनवरी 27, 2026

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1	**विहंगावलोकन**	
1.1.	प्रस्तावना	1
1.2.	लेखाओं का ढाँचा	1–2
1.3.	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	3–5
1.4.	निधियों का स्त्रोत तथा आवेदन	5–7
1.5.	लेखे की विशिष्टताएं	8
1.6.	घाटा तथा अधिशेष क्या इंगित करते हैं ?	9–10
अध्याय 2	**प्राप्तियां**	
2.1.	प्रस्तावना	11
2.2.	राजस्व प्राप्तियां	11–12
2.3.	प्राप्तियों का रूझान	13–14
2.4.	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण की कार्यशैली	14
2.5.	गत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के स्वंय के कर संग्रहण के रूझान	15
2.6.	गत पाँच वर्षों के दौरान संघ करों के राज्यांश में रूझान	15
2.7.	कर संग्रहण में दक्षता	16
2.8.	केन्द्र सरकार से अनुदान	16–17
2.9.	लोक ऋण	17–18
अध्याय 3	**व्यय**	
3.1.	प्रस्तावना	19
3.2.	राजस्व व्यय	19–21
3.3.	पूंजीगत व्यय	21–22
अध्याय 4	**राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता व्यय**	
4.1.	व्यय का वितरण	23
4.2.	राज्य निधि व्यय	23
4.3.	केन्द्रीय सहायता व्यय	23
अध्याय 5	**विनियोग लेखे**	
5.1.	विनियोग लेखे का सारांश	24
5.2.	गत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य का रूझान	24
5.3.	महत्वपूर्ण बचत	25–26

विषय सूची - (*समाप्त*)

अध्याय 6	**सम्पत्तियां एवं दायित्व**	
6.1.	सम्पत्तियां	27–28
6.2.	ऋण एवं देयता	28–29
6.3.	गारन्टियां (आकस्मिक दायित्व)	29
अध्याय 7	**अन्य मदें**	
7.1.	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	30
7.2.	लेखों का अंक मिलान	31
7.3.	कोषालयों द्वारा लेखों की प्रस्तुति	31
7.4.	सहायतार्थ अनुदान के लिये उपयोगिता प्रमाण–पत्र	31
7.5.	सारांशीकृत आकस्मिक (ए.सी.) बिल तथा विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिल	31
7.6.	निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते	32
7.7.	सिंगल नोडल एजेंसी (एस एन ए) को निधियों का हस्तांतरण:	32
7.8.	व्यय की प्रचुरता	32–33
7.9.	उचंत शेषों की स्थिति	33

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1. प्रस्तावना

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा राजस्थान सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के लेखों का संकलन किया जाता है। यह संकलन 49 जिला कोषालयों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समायोजन की सूचना द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक लेखों पर आधारित है। सार्वजनिक निर्माण तथा वन खण्डों से सम्बन्धित प्राप्तियों तथा भुगतानों को अप्रैल 2016 से एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) के अधीन कोषालयों के साथ जोड़ दिया गया है, अत: सार्वजनिक निर्माण तथा वन खण्डों के लेखे कोषालयों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे है। इस संकलन से, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) वार्षिक रूप से वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे तैयार करता है जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा–I), राजस्थान द्वारा अंकेक्षित एवं भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2. लेखाओं का ढाँचा

1.2.1 सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में संधारित किये जाते हैं :

भाग I समेकित निधि	राजस्व तथा पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियां तथा व्यय, लोक ऋण तथा कर्जे एवं अग्रिम।
भाग II आकस्मिता निधि	अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से जिनके लिए बजट में प्रावधान नहीं है। इस निधि से किये गये व्यय को बाद में समेकित निधि से पूरित किया जाता है।
भाग III लोक लेखा	ऋण (भाग–I में शामिल को छोड़कर), जमा, पेशगियां, प्रेषण एवं उचन्त लेन–देन समाहित हैं। ऋण एवं जमा सरकार के पुनर्भुगतान दायित्वों को दर्शाता है। पेशगियां सरकार की प्राप्त होने योग्य हैं। प्रेषण तथा उचन्त संव्यवहार समायोजन प्रविष्टियां हैं जो लेखे के अंतिम शीर्ष में इन्द्राज से अन्ततोगत्वा समायोजित होनी आवश्यक है।

1.2.2. लेखों का संकलन

लेखा संकलन के लिए बहाव मानचित्र

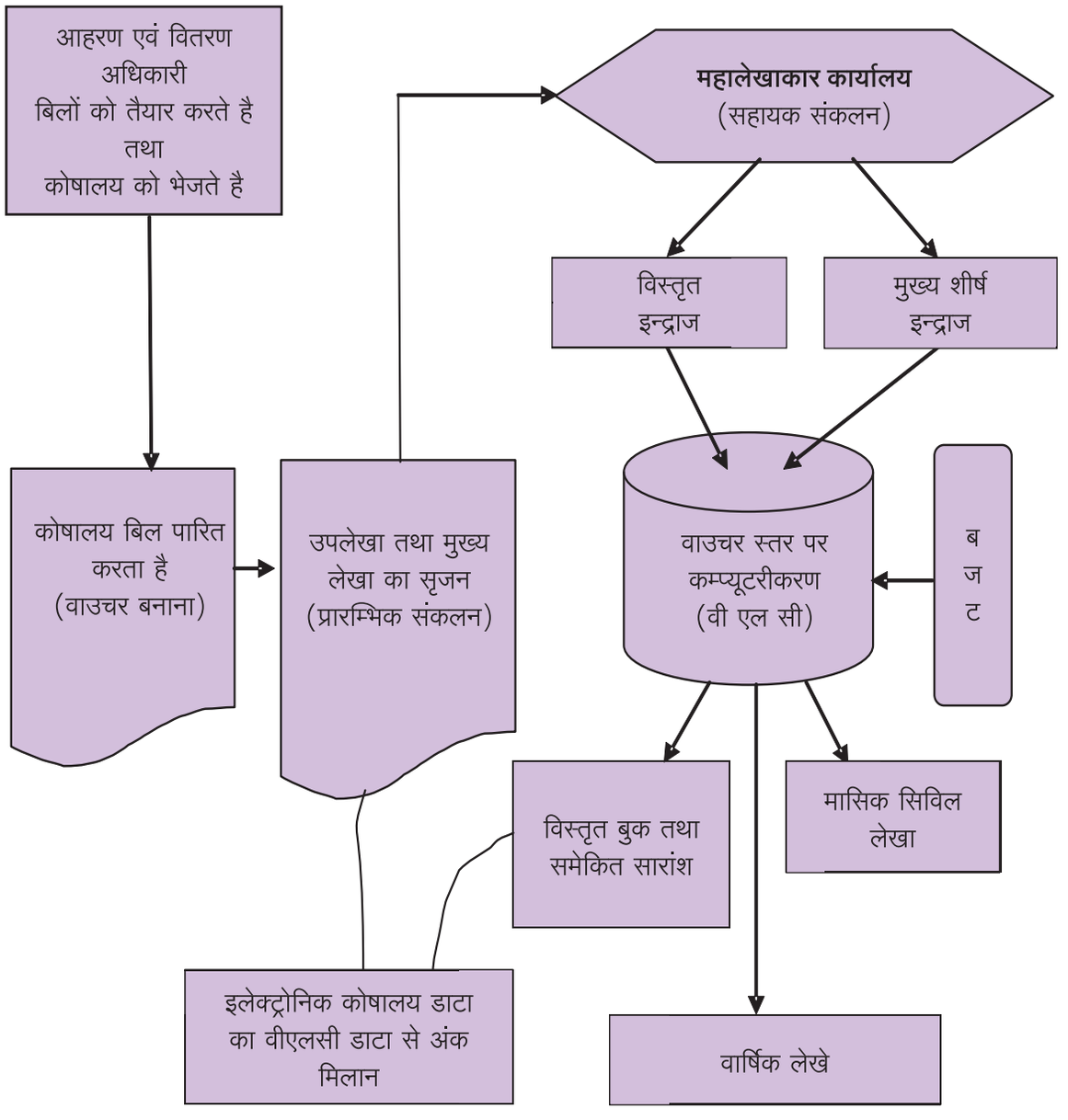

1.3. वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

वित्त लेखे वर्ष के लिये सरकार की प्राप्तियों तथा वितरणों को दर्शाते हैं, साथ ही लेखों में दर्ज राजस्व तथा पूंजीगत लेखों, लोक ऋण तथा लोक लेखे के शेषों द्वारा वित्तीय परिणाम दिखाते हैं। वित्त लेखे अधिक व्यापक और सूचनार्थक बनाने हेतु दो खण्डों में तैयार किये जाते हैं । वित्त लेखे के खण्ड–I में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, प्राप्तियों एवं भुगतानों (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण तथा अग्रिम एवं लोक ऋण), निवेशों, गारण्टियों, सहायतार्थ अनुदान के सारांशीकृत विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन ढांचे की अनुपालना, लेखाओं की गुणवत्ता तथा अन्य मदों से समाहित 'वित्त लेखाओं से टिप्पणियां' हैं; खण्ड –II में विस्तृत विवरण (भाग–I) तथा परिशिष्ट (भाग–II) हैं।

राजस्थान सरकार की प्राप्तियां तथा वितरण, जैसा कि वित्त लेखे 2024–25 में प्रदर्शित है, नीचे दिये गये हैं:–

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ (कुल : 3,00,194)	**राजस्व (कुल : 2,27,250)**	**कर राजस्व**	1,80,858
		(क) स्वयं का कर राजस्व	1,03,310
		(ख) कर के निवल आगम का भाग	77,548
		करेत्तर राजस्व	23,502
		केन्द्र सरकार से अनुदान	22,890
	पूंजीगत (कुल : 72,944)	**विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ**	7
		कर्जे तथा अग्रिम की वसूली	517
		उधार तथा अन्य दायित्व*	72,420
वितरण (कुल : 3,00,194)	**राजस्व**		2,69,200
	पूंजीगत		30,727
	कर्जे तथा अग्रिम		267

* उधार तथा अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां – वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियां–वितरण) + रोकड़ शेष का निवल (प्रारम्भिक – अंतिम)।

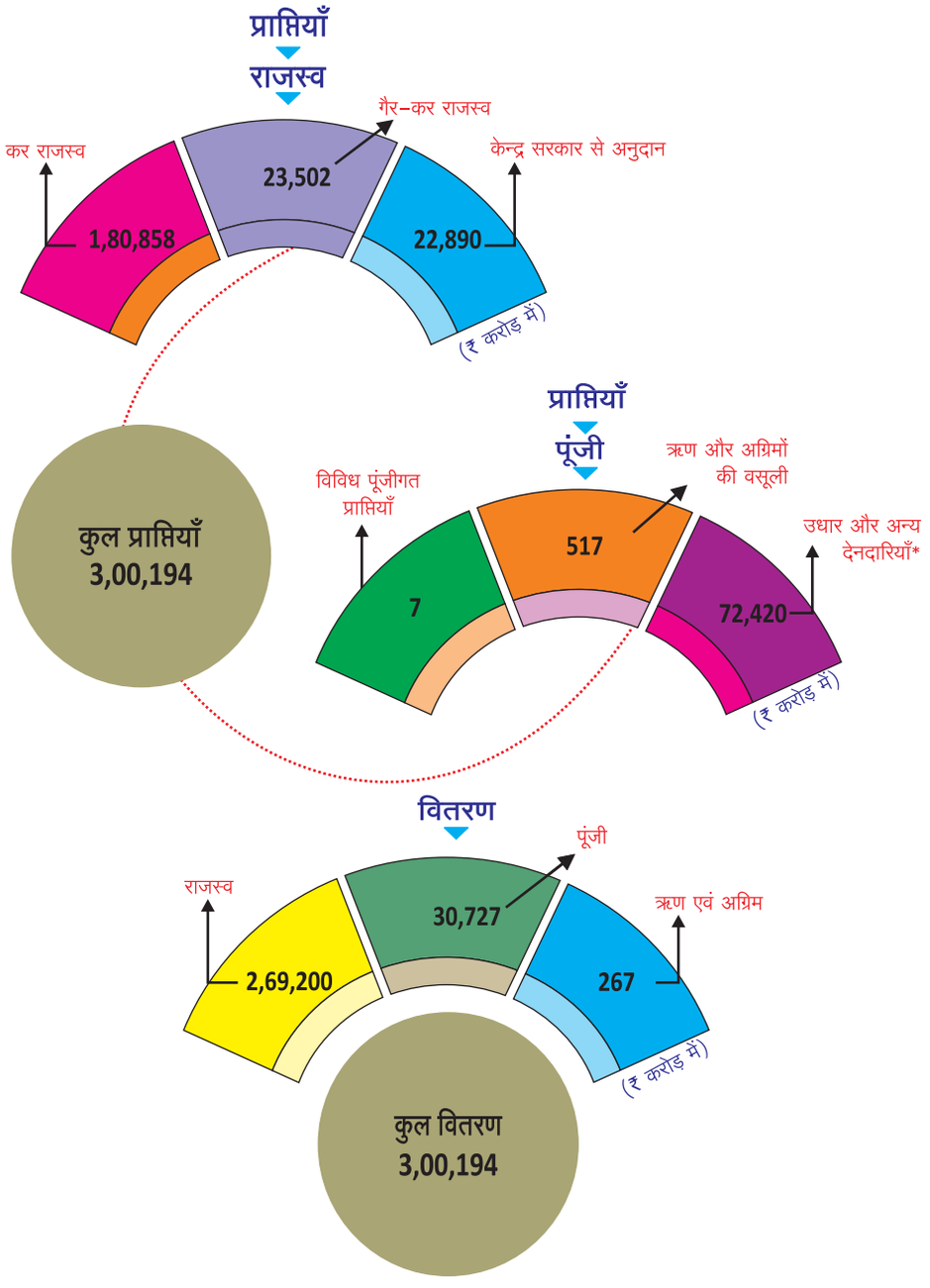

भारत सरकार के निर्णय, कि सी.एस.एस./ए.सी.ए. के अन्तर्गत सभी सहायता राज्य सरकार को जारी की जाये ना कि कार्यकारी अभिकरणों को, के उपरान्त भी भारत सरकार द्वारा निरन्तर कार्यकारी अभिकरणों को सीधे निधियां जारी की गयी। 2024–25 के दौरान, ₹ 27,979 करोड़ जारी किये गये जो कि 2023 –24 में कार्यकारी अभिकरणों को सीधे जारी राशि से 0.5 प्रतिशत थोड़ा बढा है। ये हस्तान्तरण वित्त लेखे के खण्ड–II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किये गये हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान, इनमें से अधिकांश सीधे हस्तान्तरण यूरिया एवं उर्वरक के लिये भुगतान (₹ 13,420 करोड़), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 6,379 करोड़), प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (₹ 4,956 करोड़) तथा जल जीवन मिशन (₹ 1,659 करोड़) के तहत किये गये थे। परिणामस्वरूप कार्यकारी अभिकरणों द्वारा ऐसे हस्तान्तरण और बाद के व्यय राज्य सरकार के वार्षिक खातों में नहीं दर्शाए जाते हैं।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे के पूरक हैं। ये समेकित निधि पर 'भारित' तथा राज्य विधानसभा द्वारा 'पारित' राशियों के विरूद्ध राज्य सरकार के व्यय को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे में 64 अनुदान हैं।

विनियोग अधिनियम, 2024–25 में सकल व्यय के लिये ₹ 5,06,091 करोड़ तथा व्यय की कटौति (वसूलियों) के लिए ₹ 10,624 करोड़ का प्रावधान कराया गया। इसके विरूद्ध, वास्तविक सकल व्यय ₹ 4,62,702 करोड़ तथा व्यय में कमी ₹ 9,636 करोड़ थी, परिणामस्वरूप व्यय प्रावधान में ₹ 43,389 करोड़ तथा व्यय प्रावधान की कटौति में ₹ 988 करोड़ की बचत रही। राज्य सरकार ने बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए फरवरी 2025 में अनुदान की अनुपूरक अनुदान की मांगों से ₹ 17,215 करोड़ प्राप्त किये। सकल व्यय में सारांश आकस्मिक (ए सी) बिल द्वारा आहरित ₹ 125 करोड़ शामिल हैं जिसमें से ₹ 18 करोड़ के सारांश आकस्मिक बिल वर्ष के अन्त तक विस्तृत आकस्मिक (डी सी) बिल की प्रत्याशा में बकाया थे।

2024–25 के दौरान, ₹ 26,947 करोड़ समेकित निधि से लोक लेखा के अंतर्गत निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते में स्थानान्तरित किये गये, जो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पदनामित प्रशासकों द्वारा संधारित किये जाते हैं। ऐसे स्थानान्तरणों का विवरण तथा व्यक्तिगत निजी निक्षेप खातों में बकाया शेष, यदि कोई है, केवल कोषालय के पास उपलब्ध होता है, क्योंकि ऐसे अभिलेखों के संधारण के लिए वे ही उत्तरदायी है।

1.4. निधियों का स्रोत तथा आवेदन

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य (आर बी आई) सरकारों को उनकी तरलता बनाये रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संधारित तयशुदा न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 2.34 करोड़) में यदि कमी आती है, तो अधिविकर्ष (ओडी) की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । 2024–25 के दौरान, राजस्थान सरकार ने 133 अवसरों पर 271 दिनों के लिए ₹ 91,251 करोड़ का विशेष अर्थोपाय अग्रिम लिया एवं ₹ 161 करोड़ का ब्याज के रूप में भुगतान किया तथा 57 अवसरों पर 101 दिनों के लिए य 31,029 करोड़ सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लिया तथा ₹ 19 करोड़ का ब्याज के रूप में भुगतान किया।

1.4.2. निधि प्रवाह विवरण

राज्य का ₹ 41,950 करोड़ का राजस्व घाटा तथा ₹ 72,420 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)[1] का क्रमश: 2.5 प्रतिशत तथा 4.2 प्रतिशत था।

1 निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजस्थान, जयपुर के घोषित अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2024–25 के लिए जी.एस.डी.पी. ₹ 17,04,339 करोड़ है।

राजकोषीय घाटा कुल व्यय (₹ 3,00,194 करोड़) का 24.1 प्रतिशत था। यह घाटा लोक ऋण (₹ 59,098 करोड़) तथा लोक लेखा एवं रोकड़ शेष में निवल वृद्धि (₹ 13,322 करोड़) से पूरित किया गया। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,27,250 करोड़) का लगभग 85.9 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय (₹ 1,95,182 करोड़), जैसे संवेतन (₹ 70,386 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 38,345 करोड़), पेंशन (₹ 29,322 करोड़), सहाय्य (₹ 34,024 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य पेंशन (₹ 12,890 करोड़), सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (₹ 9,810 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 405 करोड़) पर खर्च हुआ।

निधियों का स्त्रोत एवं आवेदन

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
01.04.2024 को प्रारम्भिक नकद शेष	2
राजस्व प्राप्तियाँ	2,27,250
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	7
कर्ज तथा अग्रिम की वसूली	517
लोक ऋण	2,11,970
अल्प बचतें, भविष्य निधि तथा अन्य	16,601
आरक्षित निधियां	21,895
प्राप्त जमाएं	2,74,377
सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान	..
उचन्त लेखा*	60,901
प्रेषण	34,814
आकस्मिता निधि	..
कुल	**8,48,334**
विवरण	**राशि**
राजस्व व्यय	2,69,200
पूंजीगत व्यय	30,727
दिये गये ऋण	267
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,52,872
अल्प बचतें, भविष्य निधि तथा अन्य	10,839
आरक्षित निधियां	20,913
खर्च की गयी जमाएं	2,67,659
दिये गये सिविल अग्रिम	1
उचन्त लेखा*	61,042
प्रेषण	34,815
31.03.2025 को अंतिम नकद शेष	(-) 1
कुल	**8,48,334**

स्रोत →

आवेदन →

* उचन्त खाते में ₹ 61,016 करोड़ कोषालय बिलों में निवेशित तथा विभागीय शेषों तथा स्थायी नकद अग्रदाय में वितरण, जिन्हें ''आवेदन'' पक्ष की ओर दर्शाया गया है तथा ₹ 60,844 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बेचे गये कोषालय बिल (''पुन: बट्टे'' के रूप में जाने जानी वाली एक प्रक्रिया) तथा विभागीय शेषों तथा स्थाई नकद अग्रदाय में प्राप्तियां जिन्हें 'स्त्रोतों' की तरफ दर्शाया गया है, सम्मिलित है।

1.4.3. रुपया जहाँ से आया :

सार्वजनिक ऋण

कर राजस्व

गैर कर राजस्व

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान

सार्वजनिक खाते*

ऋण और अग्रिमों की वसूली

* लोक लेखे (रोकड़ शेष सहित) के उपरोक्त घटक निवल लिये गये हैं।

1.4.4. रुपया जहाँ गया :

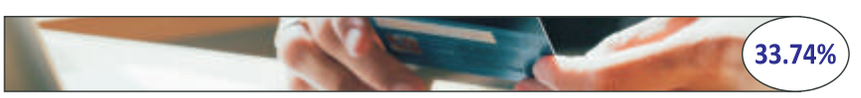

कर्ज का पुनर्भुगतान

वेतन का भुगतान

सहायतार्थ अनुदान

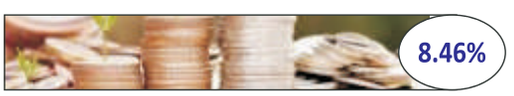

ब्याज का भुगतान

सब्सिडी

पेंशन भुगतान

रखरखाव

निवेश

दिया गया ऋण

अन्य गतिविधियाँ

1.5. लेखे की विशिष्टताएं

		आय-व्ययक अनुमान 2024-25	वास्तविक	वास्तविक का आय-व्ययक अनुमान से *प्रतिशतता*	वास्तविक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद[@] से *प्रतिशतता*
		(₹ करोड़ में)			
1.	कर राजस्व (केन्द्रीय हिस्सा सहित)	2,05,112	1,80,858	88.2	10.6
2.	करेत्तर राजस्व	22,665	23,502	103.7	1.4
3.	केन्द्र सरकार से अनुदान	36,684	22,890	62.4	1.3
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**2,64,461**	**2,27,250**	**85.9**	**13.3**
5.	कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	306	517	169.0	..
6.	अन्य प्राप्तियां	20	7	35.0	..
7.	निवल उधार और अन्य दायित्व	70,009	72,420	103.4	4.3
8.	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)**	**70,335**	**72,944**	**103.7**	**4.3**
9.	**कुल प्राप्तियां (4+8)**	**3,34,796**	**3,00,194**	**89.7**	**17.6**
10.	**राजस्व लेखे पर व्यय**	**2,90,219**	**2,69,200**	**92.7**	**15.8**
	राजस्व लेखे पर राज्य निधि व्यय	2,60,263	2,48,828	95.6	14.6
	राजस्व लेखा पर केन्द्रीय सहायता	29,956	20,372	68.0	1.2
11.	ब्याज अदायगियां पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	37,538	38,345	102.2	2.2
12.	**पूंजीगत लेखे पर व्यय***	**44,577**	**30,994**	**69.5**	**1.8**
	पूंजीगत लेखा पर राज्य निधि व्यय	37,533	27,168	72.4	1.6
	पूंजीगत लेखा पर केन्द्रीय सहायता	7,044	3,826	54.3	0.2
13.	**कुल व्यय (10+12)**	**3,34,796**	**3,00,194**	**89.7**	**17.6**
	राज्य निधि व्यय (एसएफई)	2,97,796	2,75,996	92.7	16.2
	केन्द्रीय सहायता (सीए)	37,000	24,198	65.4	1.4
14.	**राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)[&] (4-10)**	**(-) 25,758**	**(-) 41,950**	**162.9**	**2.5**
15.	**राजकोषीय घाटा [&] [13-(4+5+6)] = 7**	**(-) 70,009**	**(-) 72,420**	**103.4**	**4.2**

@ विस्तृत रूप से, वर्ष के दौरान स्थायी सम्पत्तियों के उपभोग (सी एफ सी) हेतु प्रावधान करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 17,04,339 करोड़) के रूप में जाना जाता हैं।

* पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय (बजट: ₹ 44,217 करोड़ और वास्तविक: ₹ 30,727 करोड़) तथा वितरित किये गये कर्जे और पेशगियां (बजट: ₹ 360 करोड़ और वास्तविक: ₹ 267 करोड़) शामिल हैं।

& राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (वितरित कर्जे और पेशगियां सहित) का राजस्व प्राप्तियों, कर्जे और पेशगियां की वसूलियां तथा अन्य प्राप्तियां पर रहे आधिक्य को राजकोषीय घाटे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

1.6. घाटा तथा अधिशेष क्या इंगित करते हैं ?

घाटा	प्राप्ति तथा व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। घाटे का प्रकार, घाटा कैसे पोषित होता है तथा निधियों का आवेदन, वित्तीय प्रबन्धन के विवेक का महत्वपूर्ण सूचक है।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान ढाँचे के संधारण में अपेक्षित है तथा आदर्श रूप से राजस्व प्राप्तियों से पूरित होना चाहिये।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियां (उधार के अतिरिक्त) तथा कुल व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। यह अंतर यद्यपि, उधार द्वारा पोषित व्यय का सूचक है। आदर्श रूप से उधार पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

घाटा सूचक, राजस्व आवर्द्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जांचने के मुख्य मापदण्ड है। ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंषा के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 गठित किया गया तथा 2006 में इससे सम्बन्धित नियमावली अधिसूचित की गयी। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंषा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (2011 तथा 2016) में संशोधन के अनुसार राज्य ने (i) वित्तीय वर्ष 2011–12 से राजस्व घाटे को खत्म करने तथा उसके बाद यथास्थिति रखने अथवा राजस्व अधिशेष की प्राप्ति, (ii) वित्तीय वर्ष 2011–12 से राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत या इससे कम करने तथा उसके बाद में इसे बनाये रखना तथा (iii) कुल बकाया दायित्वों को राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 38.2 प्रतिशत तक कम करने के राजकोषीय लक्ष्य सुनिश्चित करना निर्धारित किया।

2024–25 के दौरान ₹ 41,950 करोड़ का राजस्व घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.2 प्रतिशत होते हुए ₹ 72,420 करोड़ था जो गत वर्ष की तुलना में 0.1 प्रतिशत कम था।

1.6.1. राजस्व घाटा का रूझान

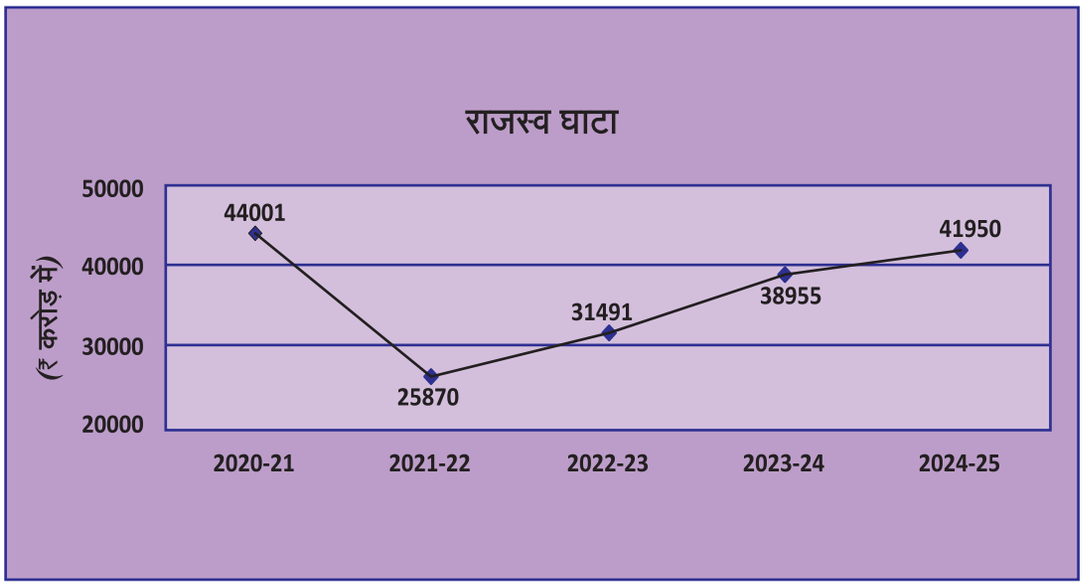

1.6.2. राजकोषीय घाटे का रूझान

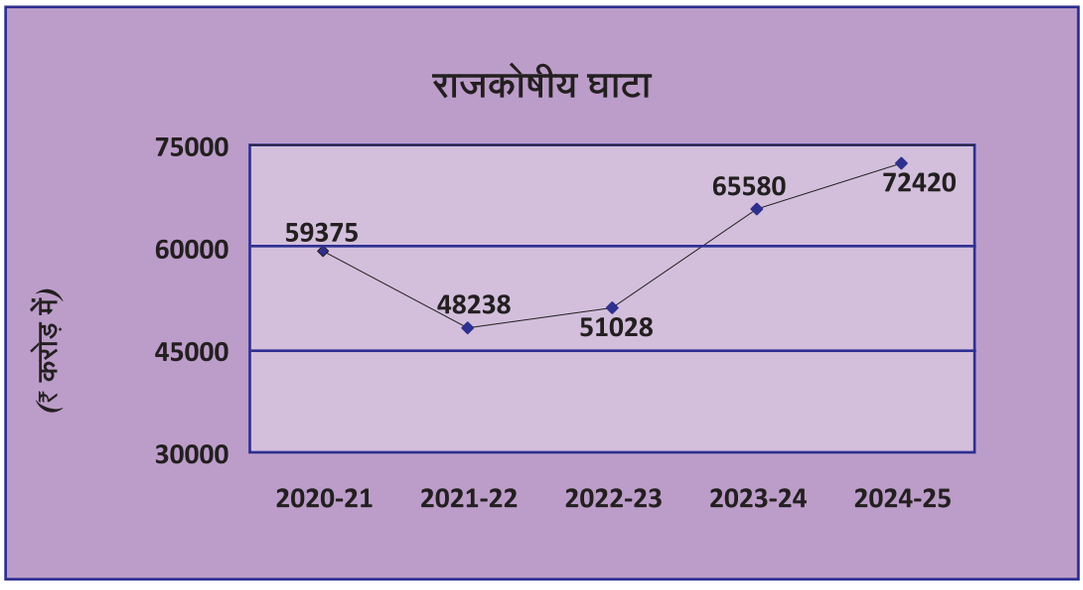

अध्याय-2

प्राप्तियां

2.1. प्रस्तावना

सरकार की प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती है। 2024–25 के लिए कुल प्राप्तियां ₹ 3,00,194 करोड़ थी।

2.2. राजस्व प्राप्तियां

कर राजस्व	राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोजित कर तथा संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अंतर्गत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।
करेत्तर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, रॉयल्टी आदि सम्मिलित हैं।
सहायतार्थ अनुदान	मूल रूप से संघ सरकार से राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के एक रूप में विदेशी सरकार से प्राप्त ''बाह्य अनुदान सहायता'' और संघ सरकार के माध्यम से चैनलाइज किया गया शामिल है। राज्य सरकार संस्थाओं जैसे पंचायती राज्य संस्थाओं, स्वायत्तशासी निकायों आदि को सहायतार्थ अनुदान भी देती है।

2.2.1. राजस्व प्राप्ति के घटक (2024–25)

(₹ करोड़ में)

संघटक	वास्तविकता	राजस्व प्राप्ति से *प्रतिशतता*
क. कर राजस्व*	**1,80,858**	**79.6**
वस्तु एवं सेवा कर	65,167	28.7
आय एवं व्यय पर कर	50,067	22.0
सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	11,463	5.1
सेवाओं एवं वस्तुओं पर कर	54,161	23.8
ख. करेत्तर राजस्व	**23,502**	**10.3**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	2,420	1.1
सामान्य सेवाएं	6,374	2.8
सामाजिक सेवाएं	1,710	0.7
आर्थिक सेवाएं	12,998	5.7
ग. केन्द्र सरकार से अंशदान	**22,890**	**10.1**
योग – राजस्व प्राप्तियां	**2,27,250**	**100.0**

* भारत सरकार से प्राप्त राज्यों का निवल आगम का भाग सम्मिलित है।

राजस्व प्राप्तियां

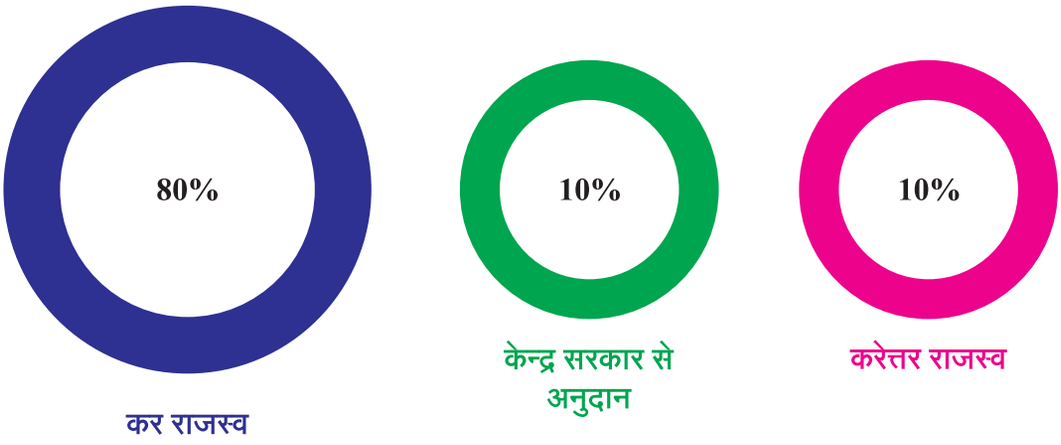

2.2.2. कर राजस्व के मुख्य अंशदाता

संघटक	वास्तविक (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर *प्रतिशतता*
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	42,518	2.5
निगम कर से भिन्न आय पर कर	28,062	1.6
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	23,369	1.4
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	22,649	1.3
निगम कर	22,005	1.3
राज्य उत्पाद शुल्क	15,104	0.9
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	10,542	0.6
वाहन कर	7,574	0.4
सीमा शुल्क	3,945	0.2
विद्युत पर कर तथा शुल्क	3,280	0.2

वर्ष के दौरान, शुद्ध कर राजस्व बजट अनुमानों से ₹ 24,254 करोड़ कम था। राजस्व के संग्रहण में मुख्य अंतर निम्न है:–

(₹ करोड़ में)

जहाँ वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से कम थी		जहाँ वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से अधिक थी	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	13,282	उत्पाद शुल्क	2,145
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,631		
निगम कर	3,078		
राज्य उत्पाद शुल्क	1,996		
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	1,354		
वाहन कर	526		
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	458		

2.3. प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कर राजस्व	95,859 (9.4)	1,28,839 (10.8)	1,44,577 (10.7)	1,62,149 (10.7)	1,80,858 (10.6)
करेत्तर राजस्व	13,653 (1.4)	18,755 (1.6)	20,565 (1.5)	18,680 (1.2)	23,502 (1.4)
केन्द्र सरकार से अनुदान	24,796 (2.4)	36,326 (3.0)	29,846 (2.2)	22,447 (1.5)	22,890 (1.3)
कुल राजस्व प्राप्ति	**1,34,308** (13.2)	**1,83,920** (15.4)	**1,94,988** (14.4)	**2,03,276** (13.4)	**2,27,250** (13.3)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**10,17,917**	**11,95,641**	**13,56,480**	**15,21,510**	**17,04,339**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की *प्रतिशतता* को प्रदर्शित करते हैं।

2024-25 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष की तुलना में 12.0 *प्रतिशत* बढ़ा तथा राजस्व संग्रहण में भी 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गत वर्ष की तुलना में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से अनुदान में क्रमश: 11.5 *प्रतिशत*, 25.8 *प्रतिशत* और 2.0 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत घटक

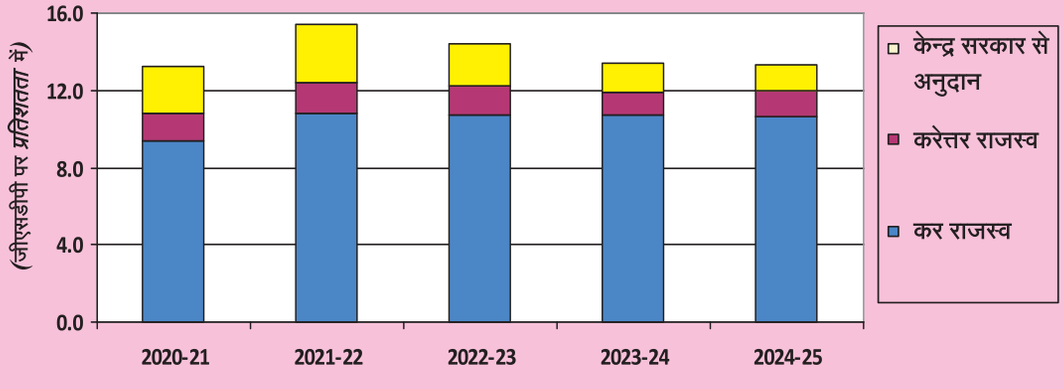

खण्डवार राजस्व कर

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वस्तु एवं सेवा कर	31,357 (3.1)	42,763 (3.6)	49,960 (3.7)	58,672 (3.9)	65,167 (3.8)
आय एवं व्यय पर कर	21,689 (2.1)	32,050 (2.7)	37,922 (2.8)	44,023 (2.9)	50,067 (2.9)
सम्पत्ति, पूंजी एवं अन्य संव्यवहारों पर कर	5,640 (0.6)	7,349 (0.6)	8,741 (0.7)	9,751 (0.6)	11,463 (0.7)
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	37,173 (3.6)	46,677 (3.9)	47,954 (3.5)	49,703 (3.3)	54,161 (3.2)
कुल कर राजस्व	**95,859** (9.4)	**1,28,839** (10.8)	**1,44,577** (10.7)	**1,62,149** (10.7)	**1,80,858** (10.6)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**10,17,917**	**11,95,641**	**13,56,480**	**15,21,510**	**17,04,339**

टिप्पणी : कोष्ठक में आँकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की *प्रतिशतता* को प्रदर्शित करते हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों का रूझान

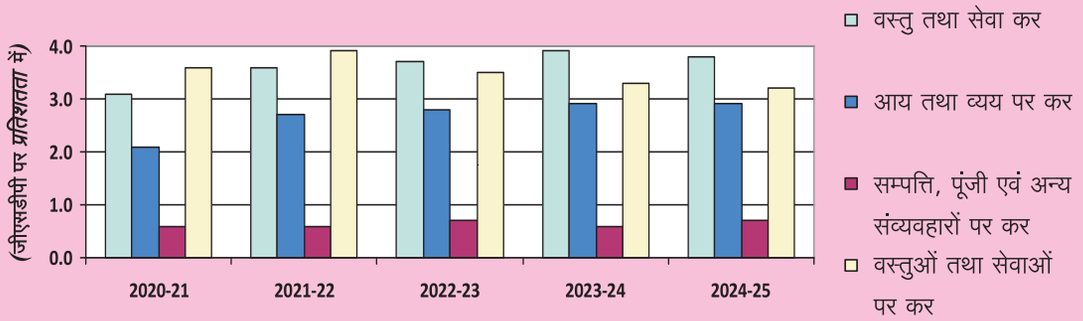

2.4. राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण की कार्यशैली

राज्य सरकार का कर राजस्व दो स्त्रोतों से आता है अर्थात् राज्य का स्वयं का कर संग्रहण तथा संघ करों का हस्तांतरण।

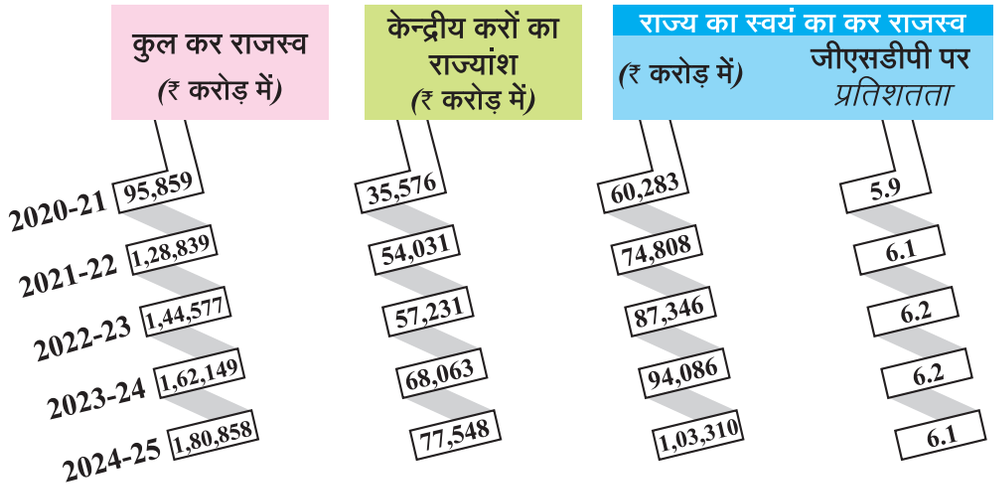

2.5. गत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के स्वयं के कर संग्रहण के रूझान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	20,755	27,502	33,790	38,016	42,518
भू–राजस्व	280	632	484	469	869
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	5,297	6,492	8,189	9,181	10,542
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	63	223	68	100	52
राज्य उत्पाद शुल्क	9,853	11,807	13,326	13,225	15,104
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	17,479	20,605	22,727	23,473	23,369
वाहन कर	4,368	4,759	6,128	6,704	7,574
माल तथा यात्री पर कर	45	171	8	..	1
विद्युत पर कर तथा शुल्क	2,142	2,606	2,625	2,918	3,280
अन्य	1	11	1	..	1
कुल	**60,283**	**74,808**	**87,346**	**94,086**	**1,03,310**

2.6. गत पाँच वर्षों के दौरान संघ करों के राज्यांश में रूझान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	10,602	15,261	16,170	20,656	22,649
निगम कर	10,711	16,172	19,192	20,430	22,005
आय पर निगम से भिन्न कर	10,978	15,877	18,730	23,593	28,062
धन पर कर	..	4	..	..	..
सीमा शुल्क	1,911	3,864	2,250	2,385	3,945
संघ उत्पाद शुल्क	1,199	2,098	706	903	759
सेवा शुल्क	150	701	89	13	3
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	25	54	94	83	125
संघ करों के राज्यांश	**35,576**	**54,031**	**57,231**	**68,063**	**77,548**
कुल कर राजस्व	**95,859**	**1,28,839**	**1,44,577**	**1,62,149**	**1,80,858**
कुल कर राजस्व पर संघ करों का *प्रतिशत*	**37.1**	**41.9**	**39.6**	**42.0**	**42.9**

2.7. कर संग्रहण में दक्षता

क. सम्पति, पूंजी एवं अन्य संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व संग्रहण	5,640	7,349	8,741	9,751	11,463
संग्रहण पर व्यय	852	952	956	1,085	1,210
संग्रहण की लागत (*प्रतिशत* में)	15.1	13.0	10.9	11.1	10.6

ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर जी.एस.टी. सहित

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व संग्रहण	68,530	89,440	97,914	1,08,375	1,19,328
संग्रहण पर व्यय	1,820	1,745	1,561	1,462	2,068
संग्रहण की लागत (*प्रतिशत* में)	2.7	2.0	1.6	1.3	1.7

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर जी.एस.टी. सहित, कर राजस्व का मुख्य भाग बनाती है। कर संग्रह की लागत में 2023–24 से 0.4 प्रतिशत की वृद्धि रही।

2.8. केन्द्र सरकार से अनुदान

केन्द्र सरकार से अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती है तथा इसमें नीति आयोग द्वारा स्वीकृत राज्य योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंषित अनुदान सम्मिलित है। 2024–25 के दौरान सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 22,890 करोड़ नीचे दर्शाए अनुसार हैं:

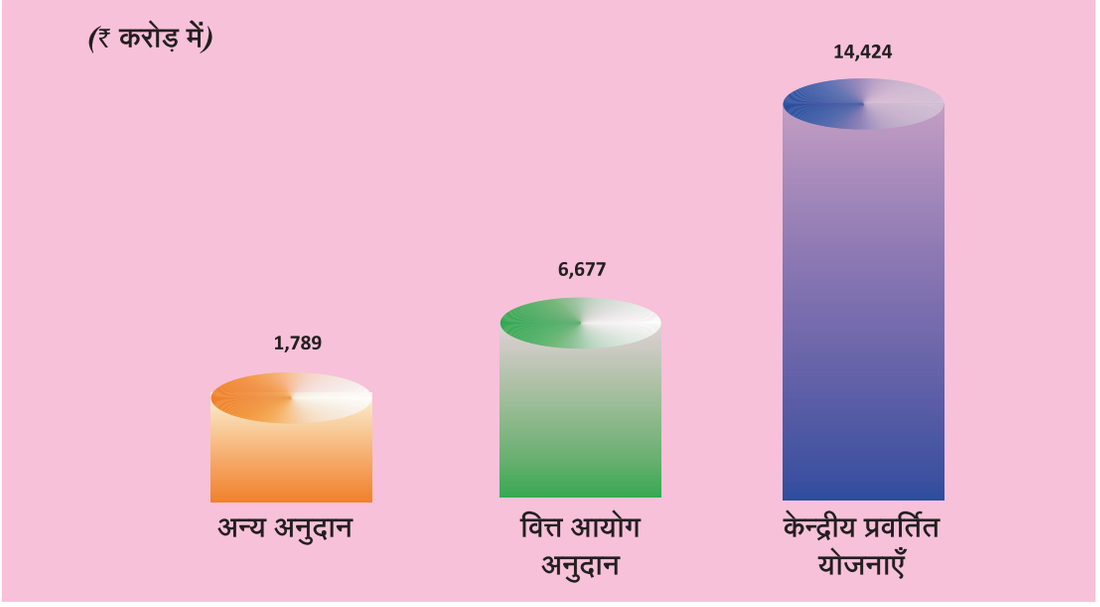

सहायतार्थ अनुदान का गत पाँच वर्षों का रूझान निम्न प्रकार है:–

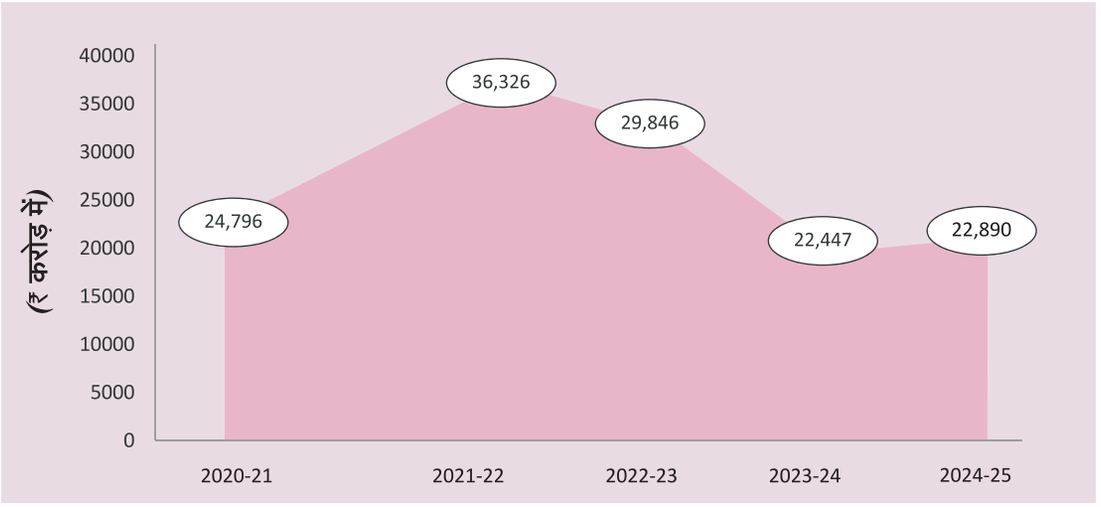

2.9. लोक ऋण

2.9.1. लोक ऋण का रूझान

गत पांच वर्षो में लिये गये लोक ऋण (निवल) का रूझान निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आंतरिक ऋण	42,711	37,018	29,154	48,896	48,932
केन्द्रीय ऋण	6,230	8,217	5,674	9,372	10,166
कुल लोक ऋण	48,941	45,235	34,828	58,268	59,098

गत पाँच वर्ष में दिए गए अनुदान का रूझान इस प्रकार है:–

(₹ करोड़ में)

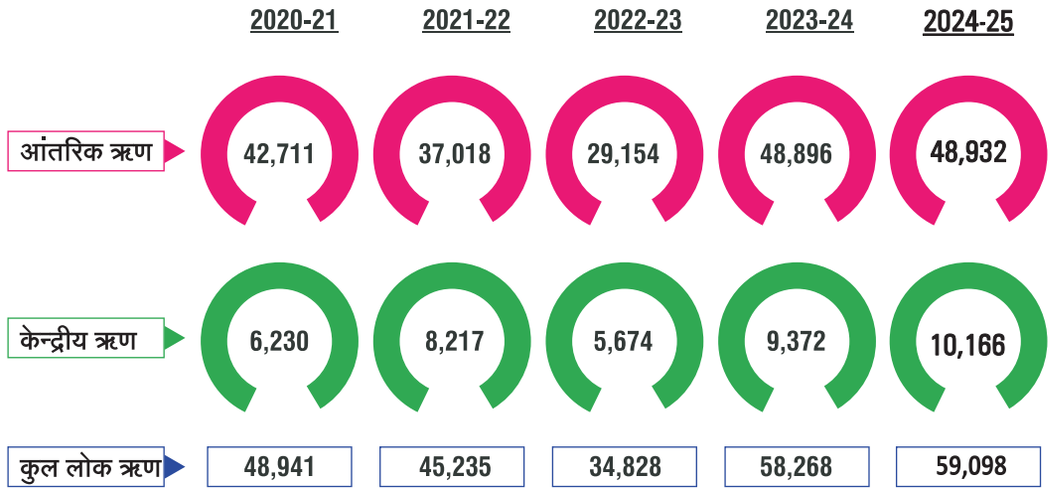

2024–25 में, 65 ऋण कुल ₹ 75,185 करोड़ के 7.04 प्रतिशत से 7.65 प्रतिशत की विभिन्न ब्याज दर पर लिये गये तथा वर्ष 2032 से 2051 के बीच चुकता होंगे।

2.9.2. उधार ली गई निधियों का अनुपात जो पूंजीगत व्यय पर खर्च किया गया

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूंजीगत व्यय	15,271	24,152	19,798	26,646	30,727
उधार ली गई निधियां (निवल)	48,941	45,235	34,828	58,268	59,098

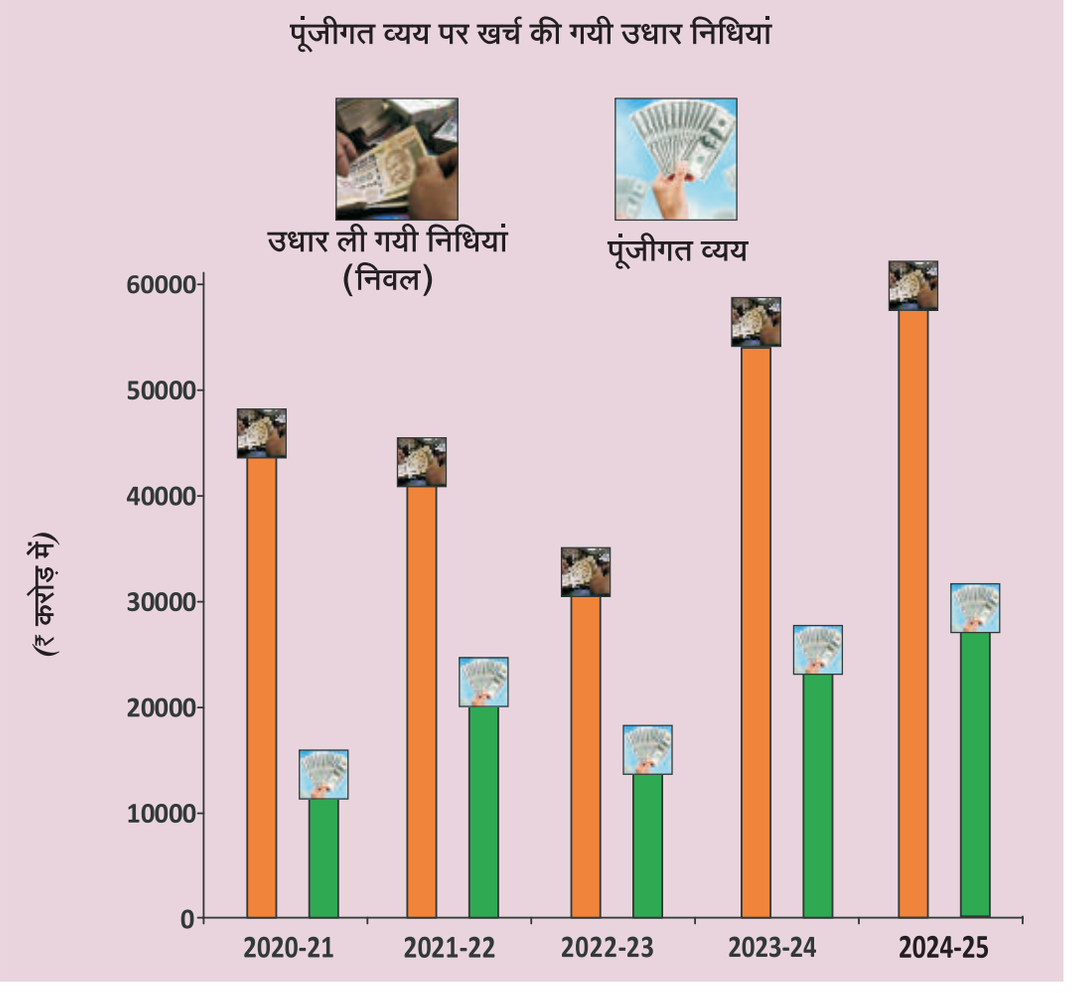

यह वांछित है कि उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु किया जाये तथा राजस्व प्राप्तियों का प्रयोग मूलधन तथा उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु किया जाए। 2013–14 से राज्य सरकार के पास ऋण चुकाने के लिए कोई राजस्व अधिशेष नहीं है। राज्य सरकार ने यद्यपि, पूंजी लेखे पर व्यय (₹ 30,727 करोड़) चालू वर्ष की शुद्ध उधारी (₹ 59,098 करोड़) की तुलना में कम किया गया तथा शेष उधारी (₹ 28,371 करोड़) राजस्व घाटे को पूरा करने के लिये उपयोजित की गयी।

अध्याय-3

व्यय

3.1. प्रस्तावना

व्यय, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत है। राजस्व व्यय सरकार को दिन प्रतिदिन चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। पूंजीगत व्यय का प्रयोग स्थायी सम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी सम्पत्तियों के उपयोग को बढ़ाने अथवा स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए किया जाता है। व्यय को आगे राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	न्याय, ब्याज अदायगियां, पुलिस, जेल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित हैं।
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलपूर्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पोषण तथा प्राकृतिक आपदाओं से राहत इत्यादि सम्मिलित हैं।
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इत्यादि सम्मिलित हैं।

3.2. राजस्व व्यय

2024–25 के लिये ₹ 2,69,200 करोड़ का राजस्व व्यय बजट प्रावधान (₹ 2,90,219 करोड़) राज्य निधि (₹ 21,019 करोड़) तथा केन्द्रीय सहायता (₹ 11,435 करोड़) में कम वितरण ₹ 9,584 करोड़ कम था। राज्य सरकार ने वर्तमान योजनाओं तथा नवीन सेवाओं पर बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए फरवरी 2025 में ₹ 11,302 करोड़ का अनुपूरक अनुदान लिया।

गत पाँच वर्षों के दौरान बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व व्यय की कमी/आधिक्य नीचे दर्शायी जाती है:

(₹ करोड़ में)

राजस्व व्यय	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बजट अनुमान	1,85,750	2,08,080	2,38,466	2,58,884	2,90,219
वास्तविक	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231	2,69,200
अन्तर	7,441	(-) 1,710	11,987	16,653	21,019
बजट अनुमानों पर अन्तर की *प्रतिशतता*	4.0	0.8	5.0	6.4	7.2

राजस्व व्यय (₹ 1,95,182 करोड़) का लगभग 72.5 प्रतिशत वेतन (₹ 70,386 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 38,345 करोड़), पेंशन (₹ 29,322 करोड़), सहाय्य (₹ 34,024 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य पेंशन (₹ 12,890 करोड़), सहायतार्थ अनुदान (वेतन) (₹ 9,810 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 405 करोड़) पर ''प्रतिबद्ध'' था।

प्रतिबद्ध तथा गैर प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की गत पाँच वर्षों की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व व्यय	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231	2,69,200
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	1,27,306	1,47,854	1,58,163	1,73,764	1,95,182
अन्य राजस्व व्यय	51,003	61,936	68,316	68,467	74,018
प्रतिबद्ध राजस्व प्राप्तियों का व्यय (प्रतिशत में)	94.8	80.4	81.1	85.5	85.9
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का व्यय (प्रतिशत में)	71.4	70.5	69.8	71.7	72.5

3.2.1. राजस्व व्यय के मुख्य संघटक (2020–2025)

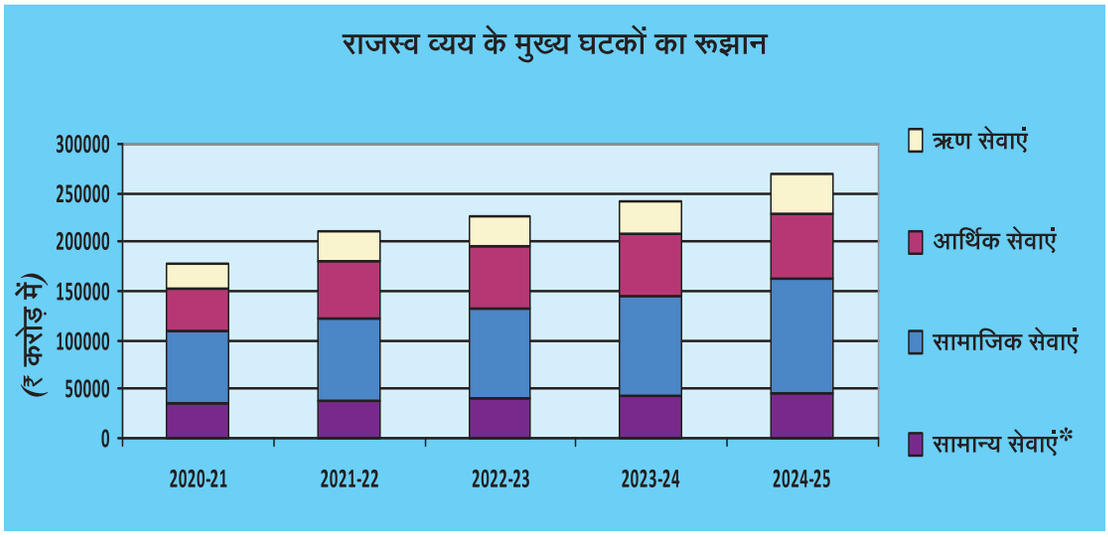

* *सामान्य सेवाएं में मुख्य शीर्ष 2048 (ऋण कम करने अथवा उससे बचने के लिए विनियोग लेखें) 2049* (ब्याज अदायगियां) *सम्मिलित नही है तथा मुख्य शीर्ष 3604* (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) सम्मिलित है।

गत वर्ष की तुलना में सभी क्षेत्रों के व्यय में वृद्धि हुई।

3.2.2. राजस्व व्यय का खण्डवार विवरण

घटक	राशि (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत*
क. राजकोषीय सेवाएं	3,279	1.2
सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	*1,210*	*0.4*
वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण जी एस टी सहित	*2,068*	*0.8*
अन्य राजकोषीय सेवाएं	*1*	..
ख. राज्य के अंग	2,658	1.0
ग. ब्याज अदायगियां तथा ऋण सेवा	40,179	14.9
घ. प्रशासनिक सेवाएं	11,578	4.3
ङ. पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	29,328	10.9
च. सामाजिक सेवाएं	1,14,789	42.7
छ. आर्थिक सेवाएं	67,389	25.0
ज. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	..*	..
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**2,69,200**	**100.0**

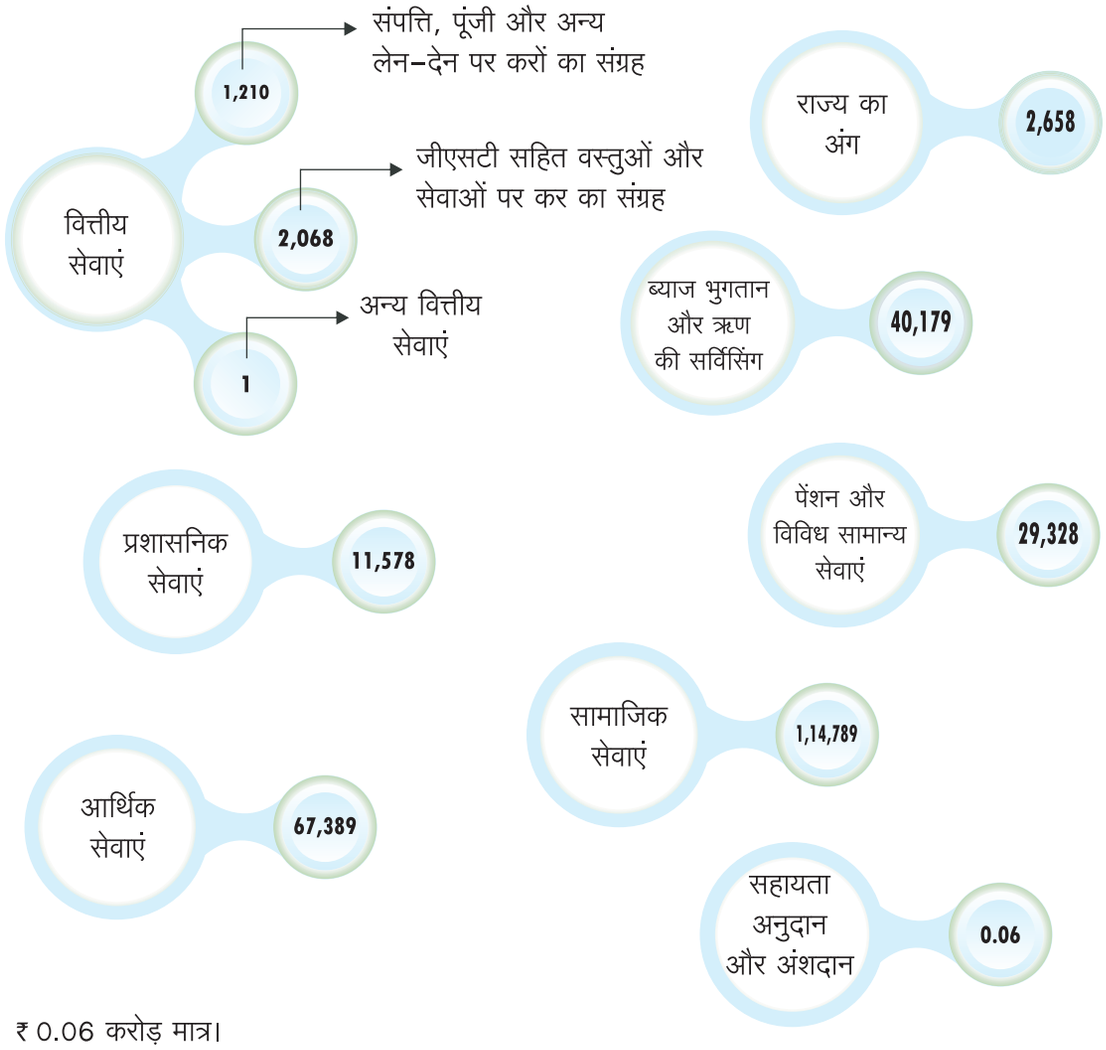

* ₹ 0.06 करोड़ मात्र।

3.3. पूंजीगत व्यय

2024–25 के लिए ₹ 30,727 करोड़ का पूंजीगत व्यय (वितरित ऋण छोडकर), राज्य निधि (₹ 44,217 करोड़) तथा केन्द्रीय सहायता के अधीन (₹13,490 करोड़) के अधीन कम संवितरण के कारण, बजट अनुमान (₹ 10,272 करोड़) से ₹ 3,218 करोड़ कम था। पूंजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत था। राज्य सरकार ने वर्तमान योजनाओं तथा नवीन सेवाओं पर बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिये फरवरी 2025 में ₹ 890 करोड़ का अनुपूरक अनुदान लिया।

2024–25 में ₹ 267 करोड़ का ऋण वितरण बजट अनुमान (₹ 360 करोड़) से ₹ 93 करोड़ कम था। राज्य सरकार ने वर्तमान योजनाओं तथा नवीन सेवाओं पर बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिये फरवरी 2025 में ₹ 105 करोड़ का अनुपूरक अनुदान लिया।

3.3.1 पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

2024–25 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 9,621 करोड़ सड़क तथा सेतु निर्माण पर, ₹ 5,444 विभिन्न सिंचाई परियाजनाओं (₹ 4,067 करोड़ मुख्य सिंचाई पर, ₹ 246 करोड़ मध्यम सिंचाई पर तथा ₹ 1,131 करोड़ लघु सिंचाई) पर, ₹ 5,154 करोड़ विभिन्न जलपूर्ति योजनाओं पर, ₹ 2,232 करोड शहरी विकास पर, ₹ 3,243 करोड़ चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर तथा ₹ 1,136 करोड़ शिक्षा, खेल–कूद, कला एवं संस्कृति पर तथा ₹ 1,000 करोड़ ग्रामीण विकास पर व्यय किये गये। राज्य सरकार ने ₹ 1,047 करोड़ (सकल) का विभिन्न कम्पनियों/निगमों इत्यादि में निवेश भी किया। सरकारी निवेश का बड़ा हिस्सा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (₹ 855 करोड़) तथा राजस्थान राज्य विधुत वित्त निगम लिमिटेड (₹ 170 करोड़) में था।

3.3.2. गत पाँच वर्षों के पूंजीगत व्यय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुये) का खण्डवार वितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	398 (2.5)	484 (2.0)	542 (2.7)	407 (1.5)	517 (1.7)
सामाजिक सेवाएं	7,642 (48.5)	10,951 (44.2)	8,851 (44.3)	9,950 (36.8)	12,557 (40.5)
आर्थिक सेवाएं	7,231 (45.9)	12,717 (51.3)	10,405 (52.1)	16,289 (60.2)	17,653 (56.9)
कर्जे तथा पेशगियां	491 (3.1)	621 (2.5)	175 (0.9)	398 (1.5)	267 (0.9)
कुल	**15,762**	**24,773**	**19,973**	**27,044**	**30,994**

टिप्पणी : कोष्ठक में दर्शायी गयी राशियां कुल पूंजीगत व्यय पर *प्रतिशतता* दर्शाती है।

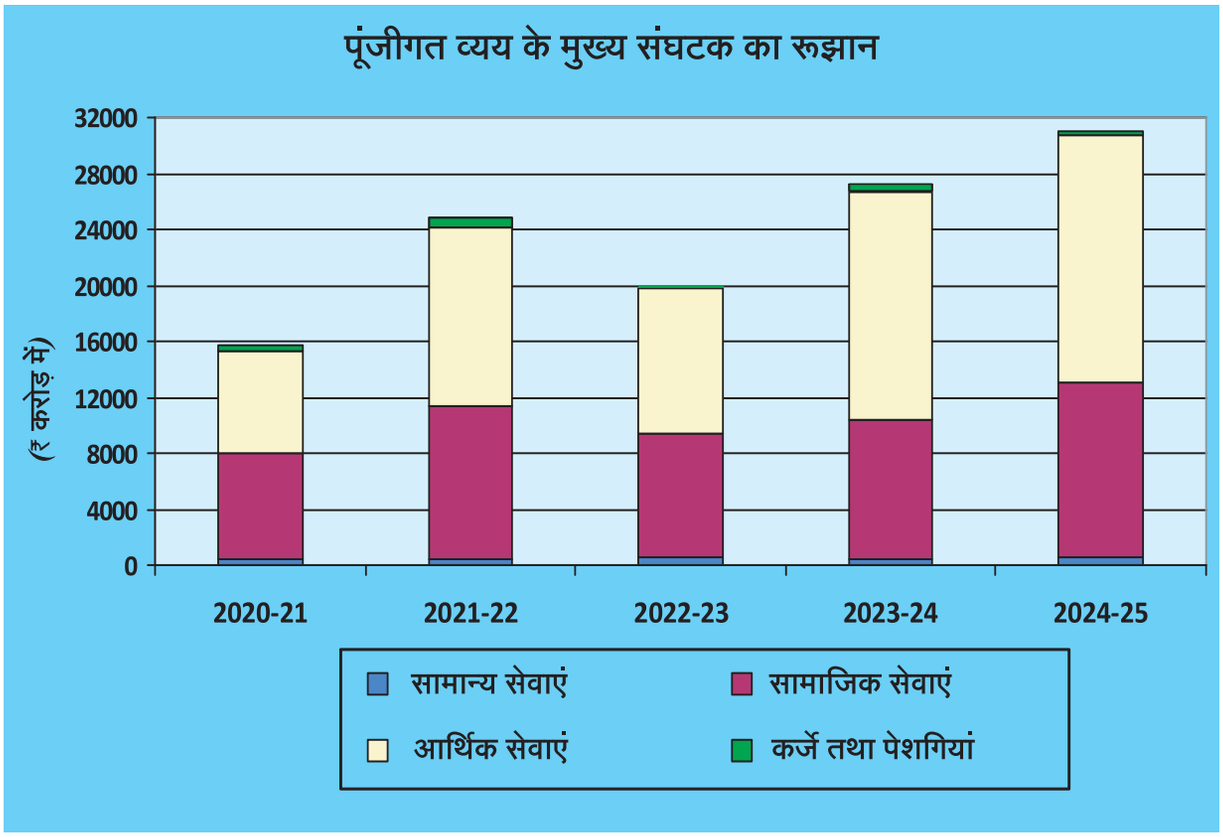
पूंजीगत व्यय के मुख्य संघटक का रूझान
(₹ करोड़ में)
32000
28000
24000
20000
16000
12000
8000
4000
0
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25
सामान्य सेवाएं
सामाजिक सेवाएं
आर्थिक सेवाएं
कर्जे तथा पेशगियां

अध्याय-4

राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता व्यय

4.1. व्यय का वितरण

भारत सरकार ने गैर–योजना और योजना के रूप में व्यय के बटवारे को 2017–18 से बंद कर दिया है। तद्नुसार, राज्य सरकार ने अपने बजट में व्यय की प्रकृति को *राज्य निधि और केन्द्रीय सहायता* के रूप में संशोधित किया है।

4.2. राज्य निधि व्यय

2024–25 के दौरान राज्य निधि व्यय, कुल वितरण के 91.9 प्रतिशत को दर्शाते हुए ₹ 2,75,996 करोड़ (₹ 2,48,828 करोड़ राजस्व के तहत, ₹ 26,901 करोड़ पूंजीगत के तहत तथा ₹ 267 करोड़ कर्ज तथा अग्रिम के तहत) था।

4.3. केन्द्रीय सहायता व्यय

2024–25 के दौरान, केन्द्रीय सहायता व्यय, कुल वितरण के 8.1 *प्रतिशत* को दर्शाते हुए ₹ 24,198 करोड़ (₹ 20,372 करोड़ राजस्व के तहत तथा ₹ 3,826 करोड़ पूंजीगत के तहत) था।

व्यय का वितरण

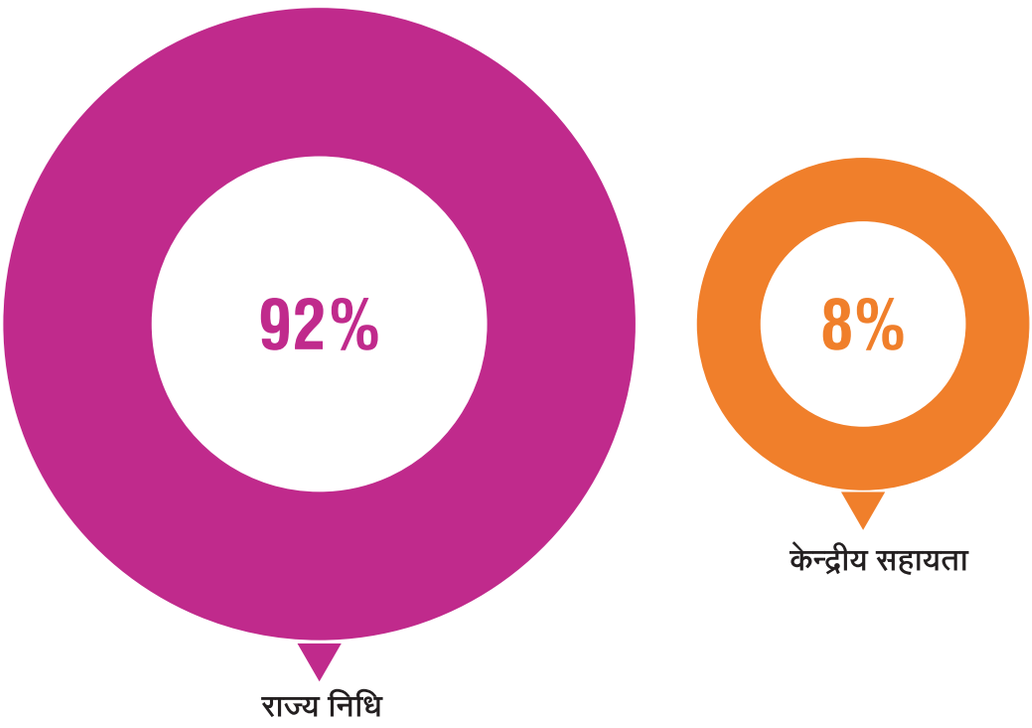

अध्याय-5

विनियोग लेखे

5.1. विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	योग	वास्तविक व्यय	बचत (–) आधिक्य (+)	अभ्यर्पण
राजस्व						
दत्तमत	2,59,637	9,669	2,69,306	2,35,971	(-) 33,335	32,751
भारित	*37,923*	*16,332*	*39,556*	*38,734*	*(-) 822*	*316*
पूंजी						
दत्तमत	47,494	886	48,380	34,848	(-) 13,532	13,202
भारित	6	*4*	*10*	*10*	..*	..**
लोक ऋण						
भारित	*1,60,671*	*4,918*	*1,65,589*	*1,52,872*	*(-) 12,717*	*12,717*
कर्जे तथा पेशगियां						
दत्तमत	360	105	465	267	(-) 198	221
आकस्मिता निधि से विनियोग						
दत्तमत	..	..	..	..	..	..
कुल	**5,06,091**	**17,215**	**5,23,306**	**4,62,702**	**(-) 60,604**	**59,207**

* मात्र ₹ 0.05 करोड़ ** मात्र ₹ 0.05 करोड़

5.2. गत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य का रूझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (–)/आधिक्य (+)				योग
	राजस्व	पूंजी	लोक ऋण	कर्जे तथा अग्रिम	
2020-21	(-) 18,802	(-) 7,912	(-) 40	(-) 298	(-) 27,052
2021-22	(-) 18,149	(-) 5,816	(-) 8,640	(-) 24	(-) 32,629
2022-23	(-) 25,693	(-) 18,475	(+) 20,928	(-) 18	(-) 23,258
2023-24	(-) 35,711	(-) 15,957	(-) 9,874	(-) 52	(-) 61,594
2024-25	(-) 34,157	(-) 13,532	(-) 12,717	(-) 198	(-) 60,604

5.3. महत्वपूर्ण बचत

2024–25 के दौरान कुल ₹ 8,369 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (₹ 17,215 करोड़ के लिये गये कुल अनुपूरक अनुदान का 48.6 प्रतिशत) 22 अनुदानों में अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि जहाँ वर्ष की समाप्ति पर मूल आवंटन के विरुद्ध भी महत्वपूर्ण बचत रही। ऐसी महत्वपूर्ण अनुदानों का विवरण नीचे दिया गया हैं :

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
04	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	पूंजी	1,60,671	4,918	1,52,872
08	सचिवालय	राजस्व	435	40	426
18	गृह विभाग	राजस्व	10,202	53	9,380
		पूंजी	360	18	233
19	कारागार विभाग	राजस्व	323	4	284
20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	पूंजी	551	69	222
21	माध्यमिक शिक्षा विभाग	राजस्व	26,118	265	25,372
27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	पूंजी	1,116	58	1,052
29	आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	राजस्व	1,347	102	1,279
30	जनजाति क्षेत्र विभाग	राजस्व	23,040	922	20,386
31	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग	पूंजी	187	182	156
34	श्रम एवं रोजगार विभाग	राजस्व	1,929	2	1,799
36	आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	राजस्व	5,300	1,119	3,683
38	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	150	8	131
39	शहरी विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	89	45	73

महत्वपूर्ण बचत – (समाप्त)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
41	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पूंजी	4,085	99	3,634
42	जल संसाधन एवं इंदिरा गाँधी नहर परियोजना विभाग	राजस्व	3,194	28	3,004
46	कृषि विभाग	राजस्व	3,475	70	2,525
47	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	पूंजी	48	13	38
48	बागवानी विभाग	राजस्व	960	54	783
50	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,975	77	1,904
51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	राजस्व	30,296	63	26,478
53	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	4,590	160	2,949

अध्याय-6

सम्पत्तियाँ एवं दायित्व

6.1. सम्पत्तियाँ

लेखों का वर्तमान प्रारूप सरकारी सम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन इत्यादि का मूल्यांकन, केवल प्राप्ति/क्रय करने का वर्ष छोड़कर सरलता से प्रदर्शित नहीं करता। इसी प्रकार, जबकि लेखे चालू वर्ष में बढ़े दायित्वों का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले समग्र दायित्वों के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल वर्तमान ऋण की अवधि तथा ब्याज की दर जैसे सीमित प्रदर्शन को छोड़कर।

6.1.1. निवेश तथा वापसी

2024–25 के अंत में गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में अंश–पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 62,818 करोड़ था। वर्ष के दौरान निवेश पर केवल ₹ 6 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ। 2024–25 के दौरान राज्य सरकार ने सांवधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹ 1,047 करोड़ निवेश किया। मुख्य निवेश राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (₹ 855 करोड़) तथा राजस्थान राज्य पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 170 करोड़) में किया गया।

6.1.2. रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

31 मार्च, 2024 को भारतीय रिर्जव बैंक में रोकड़ शेष ₹ 2 करोड़ था तथा 31 मार्च, 2025 को ₹ (–) 1 करोड़ तक घटा। रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश की स्थिति नीचे दी गयी है:–

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2024 को	31 मार्च 2025 को	निवल वृद्धि (+)/कमी(–)
रोकड़ शेष	2	(-) 1	(-) 3
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय बिल)	628	800	172
अन्य रोकड़ शेष	25	25	..
(क) विभागीय शेष	1	1	..
(ख) स्थायी रोकड़ अग्रदाय	24	24	..
आरक्षित निधियों के शेष से निवेश	9,891	9,206	(-) 685
(क) गारन्टी मोचन निधि	8,368	5,394	(-) 2,974
(ख) अन्य निधियां	1,523	3,812	2,289
ब्याज प्राप्तियां	490	756	266

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार के कोषालय बिलों में रोकड़ शेष निवेश			
1 अप्रैल 2024 को शेष	2024–25 के दौरान क्रय	2024–25 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2025 को अन्तिम शेष
628	61,016	60,844	800

6.1.3. राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा अग्रिम

वर्ष 2024–25 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुल कर्जे तथा अग्रिम ₹ 7,712 करोड़ थे। 2024–25 के दौरान, ₹ 517 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम के पुनर्भुगतान बाबत प्राप्त हुए जिसमें से ₹ 506 करोड़ विभिन्न विद्युत कम्पनियों (₹ 419 करोड़), जयपुर मेट्रो रेल निगम (₹ 54 करोड़), राजस्थान राज्य भण्डारण निगम (₹ 23 करोड़) तथा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (₹10 करोड़) के पुनर्भुगतान से संबंधित है। बकाया ऋणों की वसूली के लिये प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति के लिये मददगार होगें।

प्रधान महालेखाकार को संबंधित विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष जून तक मूल तथा ब्याज के संबंध में बकाया रही वसूलियों से संबंधित सूचना दी जानी होती है 2024–25 के दौरान 29 विभागों से 151 में से 92 विवरण प्राप्त नहीं हुए है।

6.2. ऋण एवं देयता

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर निश्चित सीमा के अन्दर, यदि कोई हो, जैसा कि राज्य विधान मण्डल द्वारा समय–समय पर निश्चित की गई हो, उधार लेने के लिए अधिकृत करता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है (आंकड़े वर्ष के अंत में अग्रेषित शेष है) :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*	लोक लेखा*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*	कुल देयताएं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*
2020-21	3,08,321	30.3	1,02,178	10.0	4,10,499	40.3
2021-22	3,41,684@	28.6	1,09,289	9.1	4,50,973	37.7
2022-23	3,76,512@	27.7	1,17,190	8.7	4,93,702	36.4
2023-24	4,34,779@	28.6	1,24,987	8.2	5,59,766	36.8
2024-25	4,93,878@	29.0	1,38,448	8.1	6,32,326	37.1

* अग्रिम, उचन्त तथा विविध एवं प्रेषण शेषों को छोड़कर।

@ ₹ 8,519 करोड़ जी एस टी मुआवजे के एवज में भारत सरकार से प्राप्त ऋण में सम्मिलित नहीं है।

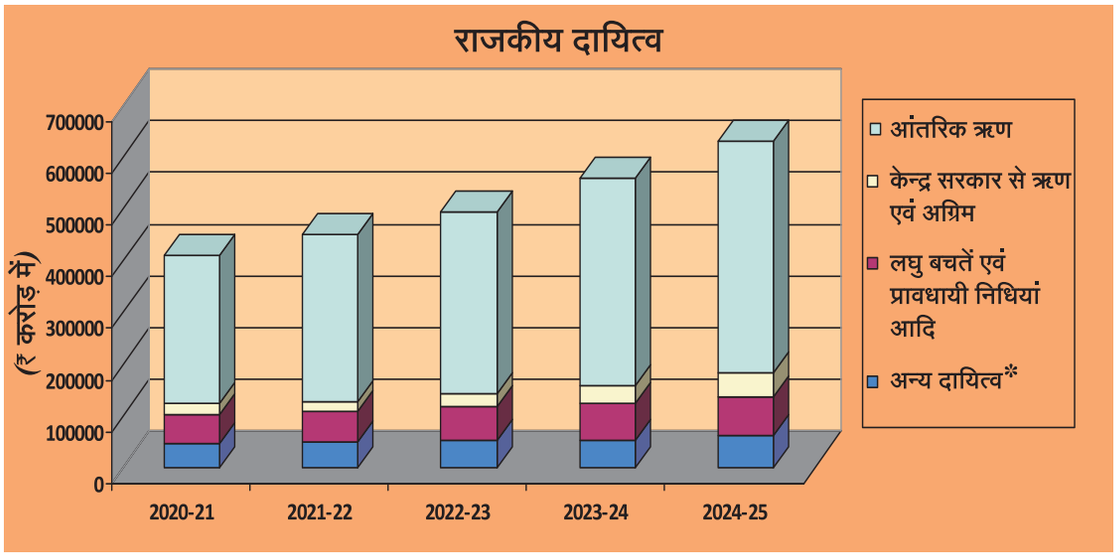

* अन्य दायित्वों में आरक्षित निधियां तथा जमा सम्मिलित है।

6.3. गारन्टियां (आकस्मिक दायित्व)

सीधे कर्जे उगाहे जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकार सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से उगाहे गये कर्जों के लिये गारन्टी भी देती है। सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों, इत्यादि द्वारा लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान (मूल तथा इस पर ब्याज का भुगतान) के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	गारन्टी की अधिकतम राशि	वर्ष के अंत में बकाया गारन्टी
2020-21	1,56,822	82,612
2021-22	1,72,684	95,868
2022-23	2,01,008	1,04,832
2023-24	2,21,973	1,10,918
2024-25	2,40,907	1,16,808

टिप्पणी: विस्तृत विवरण वित्त लेखे के विवरण संख्या 20 में उपलब्ध है तथा ये राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है।

गारन्टी शुल्क 0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर संगणित की जाती है। 2024–25 के दौरान, राज्य सरकार ने गारण्टी शुल्क के रूप में प्राप्त ₹ 945 करोड़ गारन्टी मोचन निधि में स्थानान्तरित किये तथा ₹ 6,250 करोड़ के कुल शेष में से ₹ 5,394 करोड़ निवेशित किये गये।

अध्याय-7

अन्य मदें

7.1. स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

गत पाँच वर्षों के दौरान, स्थानीय निकायों आदि को दी गई सहायतार्थ अनुदान वर्ष 2020–21 में ₹ 39,745 करोड़ से वर्ष 2024–25 में ₹ 54,819 करोड़ बढ़ी। जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगर पालिकाओं को दी गई अनुदान (₹ 27,608 करोड़) वर्ष के दौरान दी गई कुल अनुदान का 50.4 *प्रतिशत* था।

गत पाँच वर्षों में जारी की गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद	नगर पालिकाएं तथा नगर निगमों	ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियां	अन्य	योग
2020-21	7,716	5,206	6,827	19,996	**39,745**
2021-22	9,712	5,542	11,874	21,999	**49,127**
2022-23	10,264	6,229	10,503	22,448	**49,444**
2023-24	6,323	5,626	11,214	25,166	**48,329**
2024-25	7,940	7,355	12,313	27,211	**54,819**

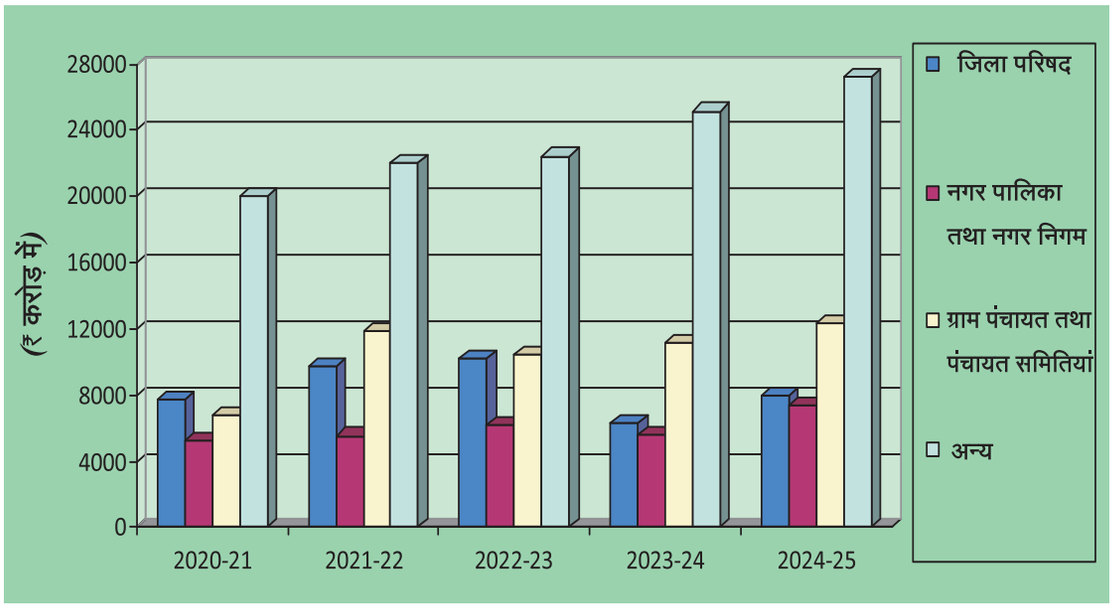

7.2. लेखों का अंक मिलान

लेखों की सटीकता तथा विश्वसनीयता, अन्य बातों के बीच, विभाग के उपलब्ध आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के समय पर अंकमिलान पर निर्भर करती है। यह कार्य संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा राजस्व प्राप्तियों की राशि ₹ 2,27,250 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 100 प्रतिशत) और व्यय राशि ₹ 3,00,194 करोड़ (कुल राजस्व तथा पूंजीगत व्यय का 100 प्रतिशत) का मिलान किया गया।

7.3. कोषालयों द्वारा लेखों के प्रस्तुति

कोषालयों द्वारा भेजे जाने वाले प्रारम्भिक लेखों की स्थिति संतोषजनक है। राज्य में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) लागू होने के पश्चात् खण्डीय संव्यवहार कोषालयों के माध्यम से प्राप्त हो रहे है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को लागू करने, निधियों के आवंटन पर बजटीय नियंत्रण तथा कोषालय लेखों की सामयिकता में गत कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

7.4. सहायतार्थ अनुदान के लिये उपयोगिता प्रमाण–पत्र

राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, 2012 के अधीन, विशिष्ट प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कराये गये अनुदान के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्त्ता से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये जिनको सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर जब तक अन्यथा निर्धारित न हो, महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये । निर्दिष्ट समय के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र वांछित उद्देश्य के लिए अनुदान की उपयोगिता के आश्वासन के अभाव को इंगित करता है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र की बकाया स्थिति इस प्रकार है:

देय वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
Upto 2023-24	61	56
2024-25	388	371
Total	**449**	**427**

7.5. सारांशीकृत आकस्मित (एसी) बिल तथा विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल

जब अग्रिम धन की आवश्यकता होती है या आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) सही राशि की आवश्यकता की गणना करने में समर्थ नही होने पर वे बिना समर्थित वाउचरों के सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अनुमत्य है। ऐसे एसी बिलों को अधिकतम 3 माह में विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिलों के प्रस्तुतीकरण से समाशोधित करना होता है। 31 मार्च 2025 के अन्त में ₹ 30 करोड़ के कुल 20 डीसी बिल बकाया थे। विस्तृत आकस्मिक बिल प्राप्त नहीं होने तक वर्ष के दौरान दर्शाये गये व्यय को अन्तिम व्यय हुआ नहीं माना जा सकता है।

7.6. निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते

सरकार निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते खोलने के लिये अधिकृत है जिसमें निधियां समेकित निधि से हस्तान्तरित की जाती है। राजस्थान कोषालय नियम के अनुसार, एक पी.डी. खाता अन्तिम लेनदेन के वर्ष के पश्चात् दो पूर्ण वित्तीय वर्ष से अधिक समय हेतु अप्रचलित होने पर बन्द होना अपेक्षित होता है तथा अवशेष राशि को समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिये।

31 मार्च 2025 को कुल 2357 पी.डी. खाते थे। वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 118 नये निजी निक्षेप खाते खोले गये तथा 212 पी. डी. खाते बंद किये गये। ₹ 42,836 करोड़ की राशि पी.डी. खातों को हस्तान्तरित/जमा की गयी। इसमें राज्य की समेकित निधि से हस्तान्तरित ₹ 27,158 करोड़ शामिल थे।

वर्ष 2024–25 के अंत में ₹ 15,120 करोड़ की राशि पी.डी. खातों में अवशेष रही।

7.7. सिंगल नोडल एजेंसी (एस एन ए) को निधियों का हस्तांतरण

राज्य सरकार/पी.एफ.एम.एस.–एसएनए की एसएनए 01 रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को अपने कोषालय लेखों में वर्ष के दौरान केन्द्रीयांश के रूप में ₹12,266 करोड़ (जिसमें 02 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 के बीच प्राप्त ₹ 2,606 करोड़ सम्मिलित हैं) प्राप्त हुए। 31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार ने ₹ 13,924 करोड का केन्द्रायांश के रूप में (जिसमें 2023–24 के दौरान प्राप्त निधि सम्मिलित हैं) तथा ₹ 13,357 करोड़ का राज्यांश एसएनए को हस्तान्तरित कर दिया। ₹ 27,281 करोड़ कुल हस्तान्तरण में से, ₹14,552 करोड़ जीआईए बिलों के माध्यम से, ₹ 7,879 करोड पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक व्यय बिलों के माध्यम से, ₹ 4,483 करोड पीडी भुगतान के माध्यम से (जल जीवन मिशन के लिए ₹ 4,245 करोड़ तथा अन्य पीडी भुगतान के लिए ₹ 238 करोड़) तथा डब्ल्यूएएम बिलों के माध्यम से ₹ 367 करोड़ हस्तान्तरित किये गये। जिसमें 02 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 के बीच प्राप्त ₹ 2,606 करोड़ में से 31 मार्च 2025 को एसएनए के बैंक खाते में राशि ₹ 2,445 करोड़ हस्तान्तरित नहीं किये गये।

एस.एन.ए. रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक एस.एन.ए. के बैंक खातों में ₹ 3,407 करोड़ रुपये बिना व्यय किए पड़े हैं।

7.8. व्यय की प्रचुरता

वित्तीय नियम अपेक्षा करते हैं कि वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषतया अंतिम माह में व्यय की प्रचुरता को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जायेगा तथा इससे बचा जाना चाहिये। यद्यपि, छः लेखा शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2025 में वर्ष के दौरान कुल व्यय का 51 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच व्यय हुआ है जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में बजट का उपयोग किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2024–25 के चार त्रैमासिक के दौरान व्यय का प्रवाह उक्त दर्शाये शीर्षों में निम्नलिखित था :–

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	योग	मार्च के दौरान	2024-25 के कुल व्यय के संदर्भ में 3/2025 का *प्रतिशतता*
		(₹ करोड़ में)						
2403	पशुपालन	353	901	609	845	2,708	1,393	51.4
3054	सड़क तथा सेतु	(-) 7	276	81	2,871	3,221	2,328	72.3
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	..	21	78	(-) 4	95	88	92.6
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	..	..	..	170	170	170	100.0
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	..	..	..	5	5	3	60.0
6408	खाद भंडारण एवं भंडारण के लिए ऋण	..	..	..	66	66	57	86.4

7.9. उचन्त शेषों की स्थिति

वित्त लेखे में उचन्त शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष प्रतिबिंबित होते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों, विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से बकाया नामे तथा जमा शेषों को जोड़कर निकाला जाता है। मुख्य शीर्ष 8658–उचंत लेखों के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के बकाया शेषों के सकल आकड़ों का विवरण निम्न प्रकार है:–

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101. वेतन एवं लेखा कार्यालय–उचंत	104	9	95	9	107	11
निवल	**(नामे) 95**		**(नामे) 86**		**(नामे) 96**	
102. उचंत लेखे (सिविल)	..$	85	1	95	1	145
निवल	**(जमा) 85**		**(जमा) 94**		**(जमा) 144**	
112. स्त्रोत पर कटौती (टी.डी.एस.) उचन्त	..	(-) 2	..	98	..	116
निवल	**(जमा) (–) 2**		**(जमा) 98**		**(जमा) 116**	
129. सामग्री क्रय समाधान उचन्त लेखा	..	(-) 3	..	(-) 3	..	(-) 3
निवल	**(जमा) (–) 3**		**(जमा) (–) 3**		**(जमा) (–) 3**	
139. स्त्रोत पर जीएसटी कर कटौती उचंत	..	57	..	66	..	53
निवल	**(जमा) 57**		**(जमा) 66**		**(जमा) 53**	

$ ₹ 0.36 करोड़ मात्र

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान
जनपथ, जयपुर–302005

agaerajasthan@cag.gov.in